फर्द अहकाम

रामदेव बनाम मंगली देवी

ग्राम न्यायालय

केस संख्या 104/15 वाद

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	27/2/18	प. क्र. उप० । खोशो० शीघ्रकि पेश हुआ। नकल दी गई। कार्य मु० की तलबी हेतु सम्मन तलबाना पेश करें। पत्रावली बाद तलबी व जवाब प्रा० पत्र हेतु दिनांक 13/4/18 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर चौमूँ (जयपुर)	
	13/4/18	वकिलों द्वारा आज कण्डोंलैस / कार्य स्थिगित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 14/5/18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
	14/5/18	प्रसाइडिंग आफीसर दौरे / अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 11/6/18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
	11/6/18	आज यह पत्रावली न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट ग्राम भूतेड़ा में पेश हुई। प्रतिवादिया सं. 1 मंगली देवी उप०। प्रा० पत्र 07 R 11 CPC पर सुना गया। प्रा० पत्र 07 R 11 CPC स्वीकार किया जाकर, वादी का वाद खारिज जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखाया जाकर शा० मि० किया गया। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर चौमूँ (जयपुर)	अ. नि. मंगली

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.07.07 16:48:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, चौमूं (जयपुर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट ग्राम भूतेड़ा)

पीठासीन अधिकारी :– सुश्री सीमा शर्मा (R.A.S)

उनवान

रामदेव पुत्र नारायण, उम्र 72 वर्ष, जाति जाट निवासी चेता का बास, ग्राम हस्तेडा, तह0 चौमूं, जिला जयपुर (राज.)।

...वादी

बनाम

1. मंगली देवी पत्नी स्व0 श्री नारायण, उम्र 92 वर्ष, जाति जाट निवासी चेता का बास हस्तेडा तह0 चौमूं, जिला जयपुर (राज.)।
2. रामेश्वर पुत्र नारायण, उम्र 68 वर्ष, जाति जाट निवासी चेता का बास हस्तेडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर (मृतक दौराने दावा)

   2/1. अणची देवी पत्नी स्व0 रामेश्वर

   2/2. सुरेश पुत्र स्व0 रामेश्वर

   2/3. विजयपाल पुत्र स्व0 रामेश्वर

   समस्त जाति जाट निवासी ग्राम चेता का बास हस्तेड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर (राज.)।

   2/4. श्रीमती चन्दा देवी पुत्री स्व0 रामेश्वर पत्नि मदनलाल

   2/5. श्रीमती सुवा देवी पुत्री स्व0 रामेश्वर पत्नि सुवालाल

   समस्त जाति जाट हाल निवासी ग्राम गुडलिया तहसील चौमूं जिला जयपुर (राज.)।

   2/6. श्रीमती बोदी देवी पुत्री स्व0 रामेश्वर पत्नि बाबूलाल

   2/7. श्रीमती नन्छी देवी पुत्री स्व0 रामेश्वर पत्नि सुरज्ञान

   2/8. श्रीमती संगीता देवी पुत्री स्व0 रामेश्वर पत्नि राजू

   समस्त जाति जाट हाल निवासी गोठा तन खेजरोली तह0 चौमूं, जिला जयपुर (राज.)।
3. श्रवण पुत्र नारायण, उम्र ... वर्ष, जाति जाट निवासी चेता का बास ग्राम हस्तेडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर (राज.)।
4. धन्नाराम पुत्र नारायण, उम्र ... वर्ष, जाति जाट निवासी चेता का बास ग्राम हस्तेडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर (राज.)।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.07.07 16:48:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

5. प्रभाती देवी पुत्री नारायण, उम्र 72 वर्ष, जाति जाट निवासी चेता का बास ग्राम हस्तेड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर (राज.)।

6. श्रीमान् उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयक कार्यालय गोविन्दगढ जिला जयपुर (राज.)।

...प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा, घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :–104 / 15

वादी की ओर से .... एवं प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादी सं0 1 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 11.06.2018 को **सुश्री सीमा शर्मा (R.A.S)**, सहायक कलक्टर, चौमूं के समक्ष पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

प्रार्थना पत्र O7R11CPC स्वीकार किया जाकर वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

यह आज तारीख 11.06.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुश्री सीमा शर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट,
चौमूं (जयपुर)

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. वकालतनामा फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामील	4.00 0.00 1.00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प वकालतनामा की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	 1.00
जोड़	5.00	जोड़	1.00

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.07.07 16:48:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट,चौमूँ, जयपुर
(न्याय आपके द्वार लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम भूतेड़ा)
पीठासीन अधिकारीः—सुश्री सीमा शर्मा (R.A.S.)

मुकदमा नम्बर :— 104/15

उनवान

रामदेव पुत्र नारायण, उम्र 72 वर्ष, जाति जाट निवासी चेता का बास, ग्राम हस्तेडा, तह0 चौमूं, जिला जयपुर (राज.)। ...वादी

बनाम

1. मंगली देवी पत्नी स्व0 श्री नारायण, उम्र 92 वर्ष, जाति जाट निवासी चेता का बास हस्तेडा तह0 चौमूं, जिला जयपुर (राज.)।
2. रामेश्वर पुत्र नारायण, उम्र 68 वर्ष, जाति जाट निवासी चेता का बास हस्तेडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर (मृतक दौराने दावा)

   2/1. अणची देवी पत्नी स्व0 रामेश्वर

   2/2. सुरेश पुत्र स्व0 रामेश्वर

   2/3. विजयपाल पुत्र स्व0 रामेश्वर

   समस्त जाति जाट निवासी ग्राम चेता का बास हस्तेड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर (राज.)।

   2/4. श्रीमती चन्दा देवी पुत्री स्व0 रामेश्वर पत्नि मदनलाल

   2/5. श्रीमती सुवा देवी पुत्री स्व0 रामेश्वर पत्नि सुवालाल

   समस्त जाति जाट हाल निवासी ग्राम गुडलिया तहसील चौमूं जिला जयपुर (राज.)।

   2/6. श्रीमती बोदी देवी पुत्री स्व0 रामेश्वर पत्नि बाबूलाल

   2/7. श्रीमती नन्छी देवी पुत्री स्व0 रामेश्वर पत्नि सुरज्ञान

   2/8. श्रीमती संगीता देवी पुत्री स्व0 रामेश्वर पत्नि राजू

   समस्त जाति जाट हाल निवासी गोठा तन खेजरोली तह0 चौमूं, जिला जयपुर (राज.)।
3. श्रवण पुत्र नारायण, उम्र 65 वर्ष, जाति जाट, निवासी चेता का बास ग्राम हस्तेडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर (राज.)।
4. धन्नाराम पुत्र नारायण, उम्र 62 वर्ष, जाति जाट, निवासी चेता का बास ग्राम हस्तेडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर (राज.)।
5. प्रभाती देवी पुत्री नारायण, उम्र [illegible] वर्ष, जाति [illegible] निवासी चेता का बास ग्राम हस्तेडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर (राज.)।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.07.07 16:48:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

6. श्रीमान् उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयक कार्यालय गोविन्दगढ जिला जयपुर (राज.)।

...प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र तहत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0

आदेश

दिनांक:-11.06.2018

प्रार्थीया/प्रतिवादीया संख्या 1 की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि उपरोक्त उनवानी मुकदमा गलत एवं झूंठे तथ्यों पर पेश किया गया हैं, जिसमें वादी/अप्रार्थी का कोई लेना देना नहीं है, ना ही वादी/अप्रार्थी सह-काश्तकार हैं, क्योंकि प्रार्थीया/प्रतिवादीया संख्या 1 मंगली देवी की स्व-अर्जित सम्पत्ति हैं, जिसमें किसी का भी कोई हक हिस्सा निहित नहीं है। भूमि आराजीयात खसरा नम्बरान 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1903, 1941 कुल किता 8 का कुल रकबा 7.82 हैक्टेयर है। जो किसी भी प्रकार से विवादित नहीं है। यह प्रतिवादीया मंगली देवी की स्व-अर्जित अपने पिताजी द्वारा वसीयत की गई है, ना कि पैतृक सम्पत्ति है। इसलिये कोई भी तकासमा या बंटवारा करवाने का अप्रार्थी/वादी को अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थीया/प्रतिवादीया अपनी स्वंय की सम्पूर्ण भूमि पर काबिज है तथा बा-जौत कर जीवन यापन करती चली आ रही है। अतः प्रार्थीया/प्रतिवादीया ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीया/प्रतिवादीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मय हर्जा व खर्चा के खारिज फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

उक्त सन्दर्भ में अप्रार्थी/वादी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी/वादी मंगली देवी का जायन्दा पुत्र है, अप्रार्थी-वादी रामदेव के स्व0 पिता नारायण अपने ससुर मांगू के यहां अपने पुश्तैनी गांव जूनसिया की कब्जेकाश्त व खातेदारी की भूमि को छोडकर अपने ससुर मांगू की पुत्र की भांती सेवा-सुश्रषा की गई थीं, तथा स्व0 मांगू कि भूमि की देखभाल व काश्त स्व0 नारायण द्वारा की गई थी। प्रार्थीया-प्रतिवादीया मंगली देवी अपने छोटे पुत्र श्रवण व धन्नाराम के दवाब में है तथा मंगली देवी मानसिक रुप से पिछले करीब 5 वर्ष सं संतुलन खो बैठी हैं, जो श्रवण व धन्नाराम के दवाब में आकर बिना सोचे समझे उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। जिसका स्वयं मंगली देवी को कोई ज्ञान नहीं है क्योंकि उक्त मंगली देवी 97 वर्ष की वृद्ध महिला है जिसका अप्रार्थी-वादी जायन्दा बड़ा पुत्र है, जिसकी आयु 75 वर्ष के लगभग है। जिसके कब्जे काश्त की भूमि को धन्नाराम व

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.07.07 16:48:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

श्रवण अपनी मां को दवाब में लेकर हड़प करना चाहते हैं, जो सरसरी रुप से खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी–वादी मंगली देवी का जायन्दा पुत्र है, जिसको अपनी माता की सम्पति में हर प्रकार का हक व अधिकार प्राप्त है तथा उक्त भूमि को वादी–अप्रार्थी द्वारा काफी मेहनत व रुपये खर्च कर उपजाउ बनाया है तथा अप्रार्थी–वादी उक्त भूमि के हिस्सा 1/6 भाग पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। जिसमें वादी–अप्रार्थी ने विद्युत कनेक्शन अपने नाम से प्राप्त कर रखा है तथा एक बोरिंग बनाकर उसमें भी विद्युत कनेक्शन प्राप्त कर रखा है। जिसका भुगतान वादी–अप्रार्थी करता रहा है तथा उक्त भूमि में वादी–अप्रार्थी पुख्ता मकानात बनाकर निवास कर रहा है तथा छान–छप्पर, पशु बाड़ा आदि बना रखे हैं व फलदार वृक्ष उगा रखे हैं। चूंकि प्रार्थीया–प्रतिवादीया 97 वर्ष की वृद्ध महिला है जोकि मानसिक रोगी है, जो उक्त भूमि पर किसी प्रकार की खेती नहीं करती है, चलने–फिरने में असमर्थ है। इस कारण प्रार्थीया–प्रतिवादीया द्वारा खेती किया जाना हास्यास्पद प्रतीत होता है। ना ही प्रार्थीया–प्रतिवादीया ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ किसी प्रकार का कोई शपथ पत्र पेश किया है, इस कारण प्रार्थीया–प्रतिवादीया सं0 1 का प्रार्थना पत्र मनगढ़न्त व झूठे तथ्यों के आधार पर पेश किये जाने के कारण मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाये जाने योग्य है।

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट ग्राम भूतेड़ा में पेश हुई। प्रतिवादीगण सं0 1 मंगली देवी स्वयं उपस्थित। प्रार्थना पत्र O7R11CPC पर सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र व जवाब दावा तथा जवाब प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में वर्णित भूमि प्रतिवादीगण सं0 1 को जरिये बक्शीश प्राप्त हुई है, ना कि उसकी पुश्तैनी भूमि है। जबकि वाद पत्र में उक्त भूमि को पुश्तैनी भूमि बताई जाकर घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। वादी उक्त अनुतोष अपनी पैतृक भूमि में ही प्राप्त कर सकता है, ना कि प्रतिवादीगण सं0 1 को जरिये बक्शीश में प्राप्त हुई भूमि में। जिस कारण वादी का वाद चलने योग्य प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र O7R11CPC स्वीकार किया जाकर वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 11.06.2018 को न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट ग्राम भूतेड़ा में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.07.07 16:48:00
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं ... मजिस्ट्रेट
... चौमूँ

Scanned by CamScanner